

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2502
दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना
2502. श्रीमती कविता सिंह:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मद्देनजर पारंपरिक खेती पर निर्भरता की बजाय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना कार्यान्वित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को क्षेत्र-वार कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है;
- (ग) क्या सरकार का दुधारू पशुओं की बेहतर प्रजातियों के प्रजनन हेतु अनुसंधान शुरू करने का विचार है और देश के विभिन्न स्थानों पर प्रजनन केन्द्र स्थापित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पशुओं में रोगों के उपचार और प्रजनन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु बिहार राज्य के सिवान में उक्त प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का विचार है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) किसानों को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और इस प्रकार उनकी आय को दोगुना करने के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित तथा सम्पूरित करने के लिए सरकार देशभर में बोवाईनों, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सूअर पालन तथा कुक्कुट पालन से होने वाले उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, नामतः

- i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
- iii. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I
- iv. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
- v. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
- vi. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- vii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
- viii. नस्ल सुधार संस्थान
- ix. नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन
- x. मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)

नस्ल सुधार संस्थान, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों से उत्पादित वीर्य खुराकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त योजनाएं अद्यतन प्रौद्योगिकियों के साथ डेयरी, कुक्कुट तथा मछली उत्पादन के विकास के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) नामक योजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें प्रति लाभार्थी को 2 से 10 पशुओं वाली एक यूनिट के लिए

दुधारू गोपशु की खरीद के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत के 25% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति को परियोजना लागत के 33.33% तक की बैंक एंडिड सब्सिडी के साथ वाणिज्यिक, शहरी, तथा ग्रामीण बैंकों से ऋण से वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत पशुधन विकास उप-मिशन के उद्यमशीलता विकास और रोजगार सृजन (ईडीईजी) के एक घटक के अधीन कुक्कुट, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और सूअर से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी सहायता दी जाती है। सामान्य वर्ग के सदस्यों के लिए यह सब्सिडी सहायता 25% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल वर्गों के सदस्यों के लिए यह सहायता 33% है। क्षेत्रवार सब्सिडी इस प्रकार है:

(i) सामान्य क्षेत्र

| वर्ग | बैंक एंडिड सब्सिडी | ऋण | लाभार्थी का हिस्सा/ मार्जिन पूंजी |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|
| गरीब सेवा से नीचे (बीपीएल)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 33.33% | 56.67% | 10% |
| गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) | 25% | 65% | 10% |

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र

| वर्ग | बैंक एंडिड सब्सिडी | ऋण | लाभार्थी का हिस्सा/ मार्जिन पूंजी |
|---|--------------------|-----|-----------------------------------|
| गरीब सेवा से नीचे (बीपीएल)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 50% | 40% | 10% |
| गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) | 35% | 55% | 10% |

(iii) दुर्गम क्षेत्र

| वर्ग | बैंक एंडिड सब्सिडी | ऋण | लाभार्थी का हिस्सा |
|---|--------------------|-----|--------------------|
| गरीब सेवा से नीचे (बीपीएल)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 60% | 30% | 10% |
| गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) | 45% | 45% | 10% |

(ग) और (घ) सरकार गायों की बेहतर नस्ल के प्रजनन के लिए अनुसंधान कार्य नहीं कर रही है। तथापि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश में बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी कर दी गई हैं। इस मिशन से दूध उत्पादन की उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले बोवाईनों के उत्पादन के माध्यम से बोवाईनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी/इन विट्रो निषेचन प्रयोगशालाएं, लिंग आधार पर छांटे गए वीर्य की उत्पादन प्रसुविधा, उत्कृष्टता केंद्र तथा गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए भी निधियां जारी की जाती हैं।